प्रेस नोट

दिनांक 04.07.2026

उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा आयोजित उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 (UPTET) परीक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का किया गया निरीक्षण, सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 04.07.2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 (UPTET) परीक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया, चेकिंग/फ्रिस्किंग व्यवस्था, परीक्षा कक्षों की व्यवस्थाओं तथा अन्य आवश्यक प्रबंधों का जायजा लिया गया। इस दौरान परीक्षा केन्द्रों पर स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की कार्यशीलता भी चेक की गई, जिससे परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाए तथा अभ्यर्थियों की नियमानुसार सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए। महोदय द्वारा सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी एवं ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

परीक्षा दिनांक 02.07.2026 से 04.07.2026 तक दो पालियों में आयोजित की गयी है। प्रथम पाली प्रातः 09:30 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:30 बजे से 05:00 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी एवं अधिकारीगण तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के आसपास सतत निगरानी रखी जा रही है तथा भ्रमणशील पुलिस टीमें लगातार गश्त कर रहीं है, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। जनपद प्रशासन एवं पुलिस विभाग के समन्वय से परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न जा रहा है।

महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान बताया गया कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा की शुचिता को भंग न कर सके। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित साधन के प्रयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संलिप्त पाए जाने पर कड़ी विधिक कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.07.2026, थाना तरबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार, 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 - 230/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित 01 शातिर वाहन चोर - संतोष तिवारी पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी ग्राम जमथा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को हल्दीगड़हा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल UP43J8247 बरामद की गई

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी कृष्ण कुमार तिवारी पुत्र हौसिला प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम लक्ष्मनपुर थाना तरबगंज गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज पर सूचना दी गई कि दिनांक 25.06.2026 को रात्रि में अपने दुकान पर खड़ी की थी कि किसी अज्ञात चोर ने मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस चोरी कर ली। जिसे काफी खोजबीन किया लेकिन कोई पता नहीं चला। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 04.07.2026 को थाना तरबगंज पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र में रवाना थी, इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर हल्दीगड़हा से कुछ दूरी पर वाहन चोर संतोष तिवारी पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी ग्राम जमथा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल UP43J8247 बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संतोष तिवारी पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी ग्राम जमथा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0 - 230/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल UP43J8247 बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उपेन्द्र यादव
02. का0 अजय कुमार
03. का0 रितेश कुमार
04. का0 अंकित कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.07.2026, थाना खरगूपुर
जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-121/26 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित एक और वांछित अभियुक्ता- शकीना पत्नी इंशान अली निवासी ग्राम मोफिया खरगूपुर डींगूर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को पाठकपुरवा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निजामुद्दीन पुत्र वजीर अली निवासी ग्राम ललित नगर (हवलदारपुरवा) थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री का विवाह 05 वर्ष पूर्व मोहम्मद हुसैन पुत्र इंशान अली निवासी ग्राम मोफिया मौजा खरगपुर डींगूर थाना खरगूपुर गोण्डा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। जब से उनकी पुत्री ससुराल गयी है तभी से सुसुरालजनों द्वारा कम दहेज का ताना मारने लगे व दहेज के लिए मार पीटकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दिनांक 29.05.2026 को सभी आरोपियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर ज्योति के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
आज दिनांक 004.07.2026 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्ता शकीना पत्नी इंशान अली निवासी ग्राम मोफिया खरगपुर डींगूर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को पाठकपुरवा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. शकीना पत्नी इंशान अली निवासी ग्राम मोफिया खरगूपुर डींगूर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-121/26 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सत्यनारायण यादव
02. का0 पंकज कुमार प्रेमी
03. म0का0 सताक्षी शुक्ला

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.07.2026, थाना को0नगर
जनपद- गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आपराधिक विश्वासघात करने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-70/26, धारा 316(3) बीएनएस से सम्बन्धित आपराधिक विश्वासघात करने वाले आरोपी अभियुक्त बृजेश कुमार यादव पुत्र दुर्गा प्रसाद यादव निवासी ग्राम इटही पोस्ट पन्दह थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को रेलवे स्टेशन गेट न0 02 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री मुरारीलाल गुप्ता पुत्र कनिक लाल गुप्ता निवासी ददुआ बाजार मकार्थीगंज थाना कोतवाली नगर गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनके फर्म से एक ट्रक गेहूँ जिसकी लागत 07 लाख रूपये थी को विपक्षीगण द्वारा दिनांक 04.01.2026 के लेकर घुघली जिला महराजगंज के लिए रवाना हुई थी वादी को 02 दिन पता चला की उक्त ट्रक अपने गंतव्य स्थान पर नही पहुचा है । लदा माल व ड्राइबर व गाड़ी के समस्त कागजात का पता नही चल रहा है। जिसमें ट्रांसपोर्ट की संदिग्धता प्रतीत हो रही है। वादी की तहरीर पर थाना को0नगर में मु0अ0सं0-70/26, धारा 316(3) बीएनएस बनाम राजेन्द्र प्रसाद प्रो0 श्री श्याम सहारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

आज दिनांक 04.07.2026 को विवचेना के दौरान दोषी आरोपी अभियुक्त बृजेश कुमार यादव पुत्र दुर्गा प्रसाद यादव निवासी ग्राम इटही पोस्ट पन्दह थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को रेलवे स्टेशन गेट न0 02 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बृजेश कुमार यादव पुत्र दुर्गा प्रसाद यादव निवासी ग्राम इटही पोस्ट पन्दह थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-70/26, धारा 316(3), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 3(5), 61(2)(a) थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अजय कुमार सिंह
02. हे0का0 रवि प्रकाश यादव
03. हे0का0 विनय कुमार राय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.07.2026

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना तरबगंज की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी 52,917/- रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में थाना को0 तरबगंज की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि 52,917/- पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक श्री उदय भान पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद निवासी ग्राम चांदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज की साइबर हेल्प डेस्क में साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। उनके मोबाइल पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने के लिए काल आया था जिससे आवेदक द्वारा OTP शेयर कर दिया गया। जिससे क्रेडिट कार्ड से 52,917/- रूपये धनराशी फ्राड हो गया। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना तरबगंज की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा जनपदीय साइबर सेल टीम की सहयोग से कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक से ईमेल के माध्यम से विभिन्न जानकारियां एकत्रित कर नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 52,917/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़िता द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना तरबगंज की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा